1	योजना का नाम	विशेष योग्यजन चिन्हिकरण योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत 40 प्रतिशत एवं अधिक निःशक्तताधारी विशेष योग्यजनों के सर्वे का कार्य किया जाता है एवं सर्वे के पश्चात 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तताधारी विशेष योग्यजनों को निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जाते है एंव UDID card जारी करवाये जाते है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1986
4	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5	पात्रता	प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
6	देय सुविधाएं	पात्र विशेष योग्यजनों को निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा UDID card उपलब्ध करवाना
7	आवेदन पत्र	आनॅलाइन निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्र से
8	आवेदन का तरीका	आनॅलाइन निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्र से वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा।
9	आवेदन कहां किया जावे	आनॅलाइन निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्र से
10	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• पहचान प्रमाण–पत्र • मूल निवास प्रमाण–पत्र इत्यादि।
11	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

विशेष योग्यजन सर्वे प्रपत्र

1. व्यक्तिगत जानकारी	
परिवार की भामाशाह आई.डी.	
आधार संख्या	
नाम	
जन्म की तारीख	
घर के प्रमुख का नाम	
लिंग	
जाति श्रेणी	
धर्म	
आर्थिक समूह	
क्या आप अल्पसंख्यक है?	
कार्ड नं.(एपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय, यदि कोई हो)	
वैवाहिक स्थिति	
क्या आप विधवा के बच्चे है?	
क्या आप अनाथ है?	
क्या आप स्वयं विधवा है?	
क्या आपने स्वयं तलाक दिया है?	
परिवार की वार्षिक आय	
मोबाईल नं.	
ई–मेल पता	
टेलीफोन नं.	
क्या आप नौकरीपेशा है?	
कब से बेरोजगार है?	

2. स्थायी पता

ग्रामीण / शहरी	
घर / निर्माण / अपार्टमेंट नं.	
स्ट्रीट / रोड़ / लेन	
सीमा चिन्ह	
क्षेत्र / स्थान / खंड	
जिला	
शहर / ब्लॉक / पंचायत समिति	
ग्राम पंचायत / वार्ड संख्या	
गांव	
तहसील	
डाक घर	
पिन कोड	
3. वर्तमान पता	
ग्रामीण / शहरी	
घर / निर्माण / अपार्टमेंट नं.	
स्ट्रीट / रोड़ / लेन	
सीमा चिन्ह	
क्षेत्र / स्थान / खंड	
जिला	
शहर / ब्लॉक / पंचायत समिति	
ग्राम पंचायत / वार्ड संख्या	
गांव	
तहसील	
डाक घर	
पिन कोड	

4. निर्वाचन क्षेत्र	
एमपी निर्वाचन क्षेत्र	
एमएलए निर्वाचन क्षेत्र	
5. बैंक का विवरण	
बैंक का नाम	
शाखा का नाम	
खाता संख्या	
आईएफएससी कोड	
पैन कार्ड नंबर	
6. संलग्नक	
मूल निवास जारी करने वाला जिला	
मूल निवास जारी करने वाला तहसील	
मूल निवास प्रमाण–पत्र	
परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र	
जाति का प्रमाण–पत्र	
7. विकलांगता का विवरण	
रक्त का समूह	
विकलांगता प्रतिशत	
क्या आप पोलियो से ग्रस्त है?	
विकलांगता का प्रमाण–पत्र है?	
सर्टिफिकेट नंबर	
जारी करने की तिथि	
जारीकर्त्ता प्राधिकरण का विवरण	
विकलांगता प्रकार	
जन्म से विकलांगता	
अस्पताल का नाम जहां विकलांगता का इलाज चल रहा है	
विकलांगता क्षेत्र	
विकलांगता का कारण	

नवीनतम कार्यवाही

. प. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017:– माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार राज्य में विशेष योग्यजनो के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हे चिन्हित करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिससे राज्य में निवासरत विशेष योग्यजनो का एक डाटा बेस तैयार कर ऑन लाईन रिकॉड संधारित किया जायेगा। यह अभियान तीन चरणो में संम्पादित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में चिन्हीकरण एवं पंजीयन 1 जून से 24 सिंतम्बर तक ई–मित्र एवं अटल सेवा केन्द्रो पर निःशुल्क, द्वितीय चरण निःशक्तता प्रमाणीकरण दिनांक 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर तक (ब्लॉक वार शिविर आयोजित किये जायेगे) एवं तृतीय चरण में कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण शिविर दिनांक 13 दिसम्बर से 31 मार्च 2018 तक (जिला स्तर पर शिविर आयोजित किये जायेगा) इन शिविरों की विस्तृत जानकारी नीचे वर्णित है।

1. पृष्ठभूमि :–वर्तमान में राज्य में जनगणना के अनुसार विशेष योग्यजनों की संख्या 15 लाख से अधिक है जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत लगभग 4 लाख विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ¼The Rights of Persons with Disabilities Act½ 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर 21 कर दी गई है (संलग्न : परिशिष्ट–A)। अतः सम्पूर्ण राज्य में विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिन्हित करने का विशेष अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित किया जाना है।
2. उद्देश्य :–उक्त अभियान के उद्देश्य निम्नानुसार है %&

- विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण ¼Identification½ एवं पंजीयन ¼Registration½ करना।
- विशेष योग्यजनों को निःशक्तता प्रमाण पत्र ¼Disability Certificate½ जारी करना।
- विशेष योग्यजनों की आवश्यकता एवं पात्रता अनुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण ¼Aids & Appliances½ उपलब्ध करवाना।
- भारत सरकार की यू.डी.आई.डी. योजना अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को यू.डी.आई.डी. काडZ ¼Unique Disability ID Card½ जारी करवाया जाना।
- पेंशन, बस/रेल पास, ऋण, पालनहार इत्यादि योजनाओं से लाभान्वित करना ।
- विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना एवं उनसे लाभान्वित करवाना।
- राज्य में निवासरत विशेष योग्यजनों का एक डाटा बैस तैयार कर ऑन लाईन रिकॉर्ड संधारित करना ।

3. कार्य योजना : पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर–2017 निम्नलिखित तीन चरणों में सम्पादित किये जायेगे :–

¼I½ चिन्हीकरण एवं पंजीयन 01 जून से 24 सितम्बर, 2017 तक (ई–मित्र/अटल सेवा केन्द के माध्यम से विशेष योग्यजनों द्वारा पंजीयन)

¼II½ निशक्तता प्रमाणीकरण 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर, 2017 तक (ब्लाकवार कैम्प आयोजित कर)

¼III½ कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण शिविर 13 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक (जिला स्तर पर कैम्प आयोजित कर)

उपरोक्त कार्यक्रम को जिला कलेक्टर के नेतृत्व में निम्नानुसार लागू किया जाना है :–

izFke pj.k %&	fpUghdj.k (Identification) ,oa iath;u (Registration)

विशेष योग्यजनों को ई–मित्र/अटल सेवा केन्द्र पर निःशुल्क पंजीयन करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। यह पंजीयन प्रक्रिया 01 जून, 2017 से प्रारम्भ की जाकर 24 सितम्बर, 2017 तक जारी रहेगी।

¼A½ चिन्हीकरण से पूर्व की तैयारियां :–

समन्वय बैठक एवं कार्य योजना निर्माण :– जिला कलेक्टर इस अभियान के प्रभारी होगें। अतः प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी। इसमें राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय विकास विभाग आदि के अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी, बैठक में निम्न विषयों पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है :–

- विभिन्न विभागीय अधिकारियों की भूमिका का निर्धारण (वता \पहदउमदज)।
- प्रचार–प्रसार की कार्य योजना।
- स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी।

आमुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम %&

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से दिनांक 05 जून, 2017 को प्रातः 10.00 बजे से 1.30 बजे तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला मुख्यालय स्थित DOIT केन्द्र पर निम्नलिखित अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अपेक्षित है :–

- राजस्व विभाग–जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, (संभाग मुख्यालय पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक), जिला आशा कॉर्डिनेटर।
- महिला एवं बाल विकास विभाग–उप निदेशक।
- शिक्षा विभाग–जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सर्व शिक्षा अभियान के संयोजक आदि।
- नगरीय विकास विभाग–आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी।
- जनप्रतिनिधि यथा स्थानीय विधायक, नगर निगम महापौर, जिला प्रमुख, नगर पालिका चैयरमैन, जिला परिषद सदस्य इत्यादि।
- जिले के प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थान के प्रतिनधि।
- पंचायत समिति मुख्यालय स्थित DOIT केन्द्र पर निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अपेक्षित है :–
- राजस्व विभाग–उपखण्ड़ अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार।

- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग–विकास अधिकारी।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक आशा कॉर्डिनेटर।
- महिला एवं बाल विकास विभाग–बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- शिक्षा विभाग–ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति स्तर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य इत्यादि।
- नगरीय विकास विभाग–आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय।
- जनप्रतिनिधि यथा प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका चैयरमैन इत्यादि।
- प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थान के प्रतिनिधि।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अन्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकेगें। उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक होगें।

(ठ) चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया :–पंजीयन में विशेष योग्यजनो के संबध में आधारभूत जानकारी यथा नाम, पिता नाम, पता, जन्मतिथि, भामाशाह नामांकन, आधार संख्या, पेंशन भुगतान आदेश, तथा वर्तमान में उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओ हेतु पंजीयन किया जायेगा ¼ifjf'k"V&B)A यह पंजीयन sso. rajasthan.gov.in ij fd;k tk;sxkA iksVZy [kqyus ds ij SSO ID ,oa ikloMZ Mkyuk होगा यदि SSO ID उपलब्ध नहीं है तो पहले SSO ID Create कर उक्त पोर्टल पर ykWfxax dj Specially Abeld Regisitration ds Icon पर क्लिक कर पंजीयन किया जा सकेगा। यह पंजीयन निम्नलिखित स्थानों पर करवाया जा सकेगा :–

- राज्य भर के सभी ई–मित्र केन्द्रों पर।
- ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केन्द्र पर।

विभाग	अधिकारी	फील्ड लेवल कार्मिक	लक्षित समूह (सेवा क्षेत्रके)
महिला एवं बाल विकास विभाग	उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक	आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन आदि	0 से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक–बालिका गर्भवती/धात्री/किशोरी बालिका
शिक्षा विभाग	जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), सर्व शिक्षा अभियान संयोजक, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विघालय के शिक्षक/प्रेरक आदि	6 से 18 वर्ष की आयु के विद्यालय आने वाले तथा सेवा क्षेत्र के बालक–बालिका

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी	ग्राम सचिव कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक आदि (पंच सरपंच के सहयोग से)	ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विशेषयोग्जन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संभाग मुख्यालय पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला एवं ब्लाक आशा कार्डिनेटर	ए.एन.एम., जी.एन. एम.,एल.एच.वी, पी. एस.सी., सी.एस.सी. फील्ड लेवल स्टाफ	पीएचसी एवं सीएचसी सेवा क्षेत्र में निवासरत विशेषयोग्यजन
नगरीय विकास विभाग	आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी	कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक आदि (वार्ड पार्षद के सहयोग से)	शहरी क्षेत्र में निवासरत विशेषयोग्जन

- विशेष योग्यजन स्वयं भी अपने कम्प्यूटर/मोबाईल पर अपना पंजीयन कर सकेगें।

यह पंजीयन विशेष योग्यजनो के लिए निःशुल्क होगा तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीयन हेतु ई–मित्र केन्द्र को 30 रुपये की राशि अलग से उपलब्ध करवायी जायेगी, पंजीयन आवेदन पूर्ण रुप से ई–मित्र/अटल सेवा केन्द्र पर भरा जाकर आवदेक विशेष योग्यजन को पावती रसीद दी जावेगी जिसमें उसके पंजीयन आवेदन क्रमांक तथा आधारभूत जानकारी का उल्लेख होगा।

¼C½ चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण का दायित्व :– प्रथम चरण अर्थात चिन्हीकरण की अवधि में प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिले के प्रत्येक विशेष योग्यजन को चिन्हित एवं पंजीकृत कर लिया जाऐ और कोई भी पात्र विशेष योग्यजन पंजीकरण से शेष न रहे। इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाये तथा विभागवार एवं सेवा क्षेत्रवार सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को विशेष योग्यजनों के चिन्हीकरण एवं पंजीयन का दायित्व निम्नानुसार निर्धारित किया जाऐ :–

द्वितीय चरण %&	निःशक्तता प्रमाणीकरण शिविर (Disability Certification Camps)

द्वितीय चरण 25 सितम्बर से प्रारम्भ किया जाकर 12 दिसम्बर, 2017 तक संचालित किया जायेगा। इस चरण में पंजीयन प्रक्रिया अन्तर्गत चिन्हित विशेष योग्यजनों का विधानसभावार कैम्प आयोजित कर उनका प्रमाणीकरण किया जायेगा।

¼A½ प्रमाणीकरण शिविर से पूर्व की तैयारियां :–

- जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणीकरण शिविर हेतु विधानसभावार समय व तिथि का निर्धारण कर प्रचार–प्रसार करवाया जायेगा।
- प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, बैनरों, पम्पलेट, एवं माईक इत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणीकरण शिविर के लिए आवश्यकतानुसार मेडिकल टीम का गठन किया जायेगा।
- चिन्हित विशेष योग्यजनों को प्रेरित कर शिविर स्थल तक लाने के लिए कार्मिकों को जिम्मेदारी दी जायेगी।
- शिविर स्थल पर आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर विद् ऑपरेटर एवं ई–मित्र सेन्टर की व्यवस्था की जायेगी।
- शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राजस्थान रोडवेज, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम इत्यादि द्वारा विशेष योग्यजनो के कल्याणार्थ संचालित योजनाओ को फ्लेक्स शीट के माध्यम से प्रदर्शित किये जाने बाबत आवश्यक तैयारी करवाना।
- आधार एवं भामाशाह नामांकन के लिए टीम का गठन किया जायेगा।
- फोटो ग्रॉफर, फोटो स्टेट/कॉपी की निःशुल्क व्यवस्था एवं भुगतान आधारित चाय–नाश्ता की व्यवस्था ¼Paid Canteen½ करवानी होगी।
- शिविर का नक्शा ¼Lay Out) ifjf'k"V& c ij layXu gSA

¼B½ प्रमाणीकरण शिविर के दौरान गतिविधियां :–

- चिकित्सक/चिकित्सक दल द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जायेगें।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के साथ–साथ संबधित विशेष योग्यजनो को किस प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरण की आवश्यकता है, की अभिशंषा की जायेगी।
- अस्थि निःशक्तता श्रेणी के ऐसे विशेष योग्यजन जिनको कृत्रिम हाथ/पैर/पोलियो सुधार ऑपरेशन (पोलियो सर्जरी) की आवश्यकता है, को चिन्हित कर संबंधित जिले के जिला अस्पताल में पोलियो सुधार ऑपरेशन हेतु आमंत्रित किया जाये। कृत्रिम हाथ एवं पैर हेतु भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर से सम्पर्क किया जाये

- इसी प्रकार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के ऐसे मूक बधिर बालक–बालिकाएं जो कि कॉकलियर इम्पलान्ट की पात्रता रखते हो उन्हें भी चिन्हित किया जाये तथा कॉकलियर इम्पलान्ट से लाभान्वित करने हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर एवं एम.डी.एम. हॉस्पिटल, जोधपुर में चिन्हित विशेष योग्यजनों को कॉकलियर इम्पलान्ट शल्यक्रिया हेतु रेफर किया जाये।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोगाम (NBCP), राष्टीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) आदि के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष योग्यजनों तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को चिन्हित कर लाभान्वित किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
- शिविर स्थल पर आधार एवं भामाशाह नामांकन कार्य भी करवाया जाये।
- विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं यथा पेंशन, संयुक्त सहायता अनुदान योजना (कृत्रिम अंग/उपकरण) पालनहार, ऋण, बस/रेल पास एवं आस्था कार्ड आदि के आवेदन–पत्र (भामाशाह एवं आधार नामांकन सहित) भरवाने का कार्य किया जाये तथा यह जांच की जाये कि प्राप्त आवेदन सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित प्राप्त हो।
- विभिन्न विभागों द्वारा विशेष योग्यजनो के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को फ्लेक्स शीट के माध्यम से शिविर स्थल पर प्रदर्शित किया जाये।
- प्रमाणीकरण शिविर के दौरान विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग/उपकरण वितरण, शिविर कार्यक्रम (दिनांक एवं स्थान) की जानकारी दी जाये।
- प्रमाणित विशेष योग्यजनों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित जिले के उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संधारित की जायेगी।

(C) चिन्हित विशेष योग्यजनों हेतु प्रमाणीकरण की प्रक्रिया :– चिन्हित विशेष योग्यजनों को शिविर स्थल पर ही निम्न प्रक्रिया के अनुसार निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे :–

- निःशक्तता के प्रमाण पत्र उसके संबंधित विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा ही जारी किए जाएंगे। ऐसे विशेष योग्यजनों के प्रमाण पत्र ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जायेगें अभियान के दौरान निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की समस्त शक्तियां ब्लाक सीएमएचओं को प्रदान की जायेगी जिसके संबध में चिकित्सा विभाग द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें।
- एक से ज्यादा निःशक्तता (Multiple disability) वाले विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे। बहुविकलांगता, मानसिक विकलांगता व मानसिक रूग्णता की श्रेणियों के चिन्हित विशेष योग्यजनों का यदि अभियान के दौरान प्रमाणीकरण किया जाना संभव न हो तो जिला अस्पताल में पृथक से प्रमाणीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- शिविरों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण विशेष योग्यजन को प्रमाण–पत्र जारी करने में कठिनाई उत्पन्न न हो इसलिए विशेष योग्यजनों के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए निकटवर्ती जिले में कार्यरत चिकित्सक अथवा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक की सहायता ली जा सकेगी। संभागीय आयुक्त इस संबंध में समन्वय स्थापित कर आदेश जारी करवायेगें।

r`rh; pj.k %&	d`f=e vax@lgk;d midj.k forj.k f'kfoj (Distribution of Prosthetic Aids & Appliance)

तृतीय चरण 13 दिसम्बर से प्रारम्भ किया जाकर 31 मार्च, 2018 तक संचालित किया जायेगा। इस चरण में प्रमाणित विशेष योग्यजनों को जिला मुख्यालय पर शिविर आयोजित कर कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण व अन्य योजनाओं यथा–पेंशन, पालनहार, आस्था कार्ड, बस/रेल पास आदि से लाभान्वित किया जायेगा।

¼A½ forj.k f'kfoj ls iwoZ dh rS;kfj;ka %&

- प्रमाणित विशेष योग्यजनो की पात्रतानुसार उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कृत्रिम अंग/उपकरण निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार से अधिकृत संस्था भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) आदि से सामंजस्य स्थापित कर उपकरण प्राप्त किये जायेगें।
- जिला कलेक्टर द्वारा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण एवं अन्य लाभ वितरण शिविर हेतु समय व तिथि का निर्धारण कर प्रचार–प्रसार करवाया जायेगा।
- प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, बैनरों, पम्पलेट, माईक ईत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।
- प्रमाणित विशेष योग्यजनों को शिविर स्थल तक प्रेरित कर लाने के लिए पर्याप्त कार्मिक नियुक्त किये जायेगें। इस हेतु जनप्रतिनिधियों यथा पार्षद, सरपंच, पंच आदि का सहयोग भी लिया जाये।
- प्रमाणीकरण शिविर में विशेष योग्यजनों से विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत भरवाये गये आवेदन पत्रों की पूर्ण जांच करवाकर स्वीकृति आदेश, आस्था कार्ड, बस/रेल पास इत्यादि तैयार किये जायेगें।
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण आवश्यक मात्रा में क्रय किये जाने संबंधी पूर्ण कार्यवाही की जायेगी।
- जनप्रतिनिधि यथा सांसद, जिले के प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जिला प्रमुख, महापौर–नगर निगम, चैयरमैन–नगर पालिका, प्रधान, वार्ड पार्षद, संरपच इत्यादि को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण एवं अन्य लाभ वितरण शिविर हेतु आमंत्रित करना।

(ठ) वितरण शिविर के दौरान गतिविधियां :–

- सभी पात्र विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण करना।
- विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं में भरवाये गये आवेदन पत्रों यथा–पेंशन, पालनहार, आस्था कार्ड, ऋण, बस/रेल पास इत्यादि की स्वीकृति जारी करना।
- विशेष योग्यजनों की निशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशतता तथा उन्हे उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं को आधार एवं भामाशाह नामाकन से जोड़कर रिकार्ड को आनॅलाइन अद्यतन करना।

4. सामान्य दिशा निर्देशः–शिविर के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्य संपादित किये जायेगें :–

- शिविर के क्रियान्वयन हेतु प्रभारी अधिकारी एवं अन्य विभागों से समन्वय : उपरोक्त चिन्हीकरण, प्रमाणीकरण एवं कृत्रिम/अंग उपकरण वितरण शिविर कार्यक्रम के लिए संबंधित जिला कलेक्टर प्रभारी होगें। जिले के समस्त अधिकारी/कार्मिक जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेगें। साथ ही इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने का दायित्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) का संयुक्त रूप से होगा। जिला कलेक्टर द्वारा जिले में क्षेत्रवार उपखण्ड अधिकारियो को उक्त शिविर कार्यक्रम का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा साथ ही जिले में अन्य विभागों के कार्मिकों को भी उक्त अभियान हेतु कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया जा सकेगा।

- प्रचार–प्रसार :–दिनांक 01 जून , 2017 से अटल सेवा केन्द्र तथा ई–मित्र केन्द्र पर विशेष योग्यजनों द्वारा पंजीकरण करवाने के संबध में व्यापक प्रचार–प्रसार राज्य स्तर पर निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा दूरदर्शन/टेलीविजन, आकाशवाणी/रेडियो, राज्य स्तरीय समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावेगा, जिला स्तर पर संबधित जिला कलेक्टर द्वारा प्रचार के विभिन्न माध्यमो यथा–स्थानीय समाचार पत्र, बैनरों, पम्पलेट, एवं माईक ईत्यादि के माध्यम से किया जावे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से विशेष योग्यजन को इस अभियान की जानकारी प्राप्त हो सकें।
- **dEI;wVjhdj.k** (Data Feeding) %&अभियान में चिन्हित एवं प्रमाणित विशेष योग्यजनों की सूचना (कंज) के संधारण हेतु पृथक से एक सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार किया गया है। उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस कार्य में सम्पूर्ण सक्रिय भागीदारी निभायेगें एवं इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
- जन प्रतिनिधि/दानदाताओं एवं स्वंय सेवी संस्थाओ की भागीदारी :–उक्त सम्पूर्ण अभियान में जन प्रतिनिधि यथा जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद, क्षेत्रीय विधायक, नगर निगम महापौर, नगर पालिका चैयरमैन, जिला प्रमुख, प्रधान, वार्ड पार्षद, सरपंच एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी होगी। जरुरतमंद विशेष योग्यजनो को सांसद/विधायक कोटे से मोट्रराइज्ड–ट्राई साईकिल/ट्राई–साईकिल इत्यादि उपकरण उपलब्ध कराये जा सकेगें।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग व अन्य विभागों की भूमिकाः– चिन्हीकरण, पंजीयन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में विशेष योग्यजनों को ई–मित्र केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र तथा शिविर स्थल पर लाने हेतु उपरोक्त विभागों के फील्ड लेवल स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। सभी संबंधित विभागों के सचिव/प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव अपने–अपने फील्ड स्टाफ को उपयुक्त रूप से निर्देश जारी करेगें।

5- बजट प्रावधान :– उक्त अभियान के प्रचार–प्रसार, चिन्हीकरण, प्रमाणीकरण/वितरण शिविर आयोजन तथा कृत्रिम/अंग उपकरण क्रय करने इत्यादि कार्यों हेतु प्रत्येक जिले को निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा निदेशालय के अधीन जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बजट उपलब्ध करवा दिया गया। bl vfHk;ku gsrq jkT; }kjk 18-00 djksM+ :i;s dk vfrfjDr ctV vkoaVu fd;k x;k gSA